न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 51/2021 जिला भीलवाड़ा

उगमलाल बनाम सरकार

उगमलाल पुत्र नाथु जाति गुर्जर निवासी जोधा का खेड़ा, तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द दिनांक 12.08.2021 प्रकरण संख्या 1/2021 उनवानी भू— अभिलेख निरीक्षक आमेसर बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः— सी0पी0 पाराशर(वकील अपी0)

—मदनलाल गुर्जर(अभि0 ग्राम पंचायत)

राजकीय अभिभाषक—आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः—29.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामवासी जोधा का खेड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को एक पत्र दिया जाकर ग्राम जोधा का खेड़ा के खसरा न 207 से अतिक्रमण हटाने व धारा 131 के तहत रास्ता दर्ज [illegible] की गई। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा हल्का [illegible] दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पटवार हल्का दिनांक 05.07.2021 मौका [illegible] करने हेतु पहुंचा तथा मौका पर्चा बनाया गया।'

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका पर्चा के अनुसार '' गांव जोधा का खेड़ा की चरागाह आराजी नं 131 रकबा 25.52 हे0 आराजी न. 209 रकबा 17.56 हे0 में जाने हेतु भी बिलानाम आराजी हेतु रकबा 0.45 हे0 किश्म गैर मुमकिन रास्ता व आराजी न0 207 रकबा 2.55 हे0 किस्म बंजड़ भीला नाम काबिल कास्त मे से होकर वर्षों से आना जाना उपस्थित मौत विरान ने बताया। उक्त आराजी न0 207 रकबा 2.55 हे0 में उगमा, सुखा, काना पिता नाथू द्वारा कांटो की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। जिसे श्रीमान के आदेशानुसार दिनांक 29.06.2021 को ग्रामवासीयान के सहयोग से हटवाया गया। परंतु अतिक्रमियों द्वारा पुनः सीमेंट पत्थर के पील्लर बनाकर लोहे का गैट लगा लिया है। अतिक्रमियों ने बताया की उक्त आराजी न0 207 मे से होकर ग्रामवासी कभी भी आते जाते नहीं थे व आराजी न0 207 में कोई रास्ते बाबत् निशानात भी मौके पर नहीं है। अतिक्रमियों ने बताया कि ग्रामवासी उक्त चरागाह में जाने हेतु अन्य रास्ते का उपयोग करते आये है। उक्त रास्ता ग्राम जोधा का खेड़ा से निकटतम व सुविधाजनक होने से ग्रामवासी जोधा का खेड़ा व सरपंच ग्राम पंचायत बोरेला उक्त भीला नाम आराजी न0 207 रकबा 2.55 हे0 में से चरागाह में पहुंचने हेतु किस्म रास्ता दर्ज करवाना चाहते है।''

उक्त मौका पर्चा दिनांक 05.07.2021 के आधार पर पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार आसीन्द को प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 207 मे से होकर गुजरेगा उक्त रास्ते की लं0 340 मी0 और चौ0 8 मी0 होगी कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल जो रास्ते हेतु काम आयेगा वह 2720 वर्गमीटर होगा तथा हेक्टेयर में उक्त माप 0.27 हे0 होगा।

उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार आसींद द्वारा दिनांक 07.07.2021 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय आसींद में उक्त प्रस्ताव को भिजवा दिया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश जारी करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–131,132 नियम 58,59,60,66 एवं 86 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम जोधा का खेड़ा पटवार हल्का बोरेला के बिलानाम आराजी न0 207 रकबा 2.55 किस्म बंजड़ में से 0.27 हे0 सलग्न नक्शा ट्रेस राजस्व अभिलेख/तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 12.08.2021 को पत्रावली संख्या 1/2021 पर जारी किया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। क्षेत्रधिकार में होने से अपील को दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गई। इस बीच ग्राम पंचायत बोरेला की तरफ से उनके अभिभाषक मदनलाल गुर्जर द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जाकर ग्राम पंचायत को भी पक्षकार के रूप में जोड़े जाने हेतु निवेदन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

के प्रार्थना पत्र रेस्पो0 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर पर बहस सुनी गई। अपील पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अवधि पर विचार किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय जारी किया गया है वह दिनांक 12.08.2021 को जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 27.08.2021 को ही न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः अपील अंदर मियाद ही है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार खसरा न0 207 रकबा 2.55 किस्म बंजड़ ग्राम जोधा का खेड़ा उनकी कब्जे कास्त की आराजी है तथा इस पर संवत् 2012 से पूर्व से उनका कब्जाकास्त दर्ज चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी के नाम खसरा परिवर्तनशील संवत् 2078 तक बनायी गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारीत आदेश दिनांक 12.08.2021 से प्रार्थी व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।

इसके साथ ही अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उपखण्ड अधिकारी आसींद के पारित आदेश दिनांक 12.08.2021 की पालना को फैसला होने तक स्थगन आदेश जारी किया जाकर मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति रखी जाये। दोनों ही प्रार्थना पत्र के संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है।

अपीलांट द्वारा खसरा परिवर्तनशील की फोटोकॉफी पत्रावली पर उपलब्ध करवायी गयी है। जिसमें संवत् 2069 (2012–13) एवं संवत 2078 वर्ष (2021–22) फसल खरीफ के प्रस्तुत किये गये। इसके मुताबिक संवत् 2069 में खसरा न0 207 के 1.08 क्षैत्रफल में नाथू पिता श्योराम गुर्जर द्वारा कुलथ की फसल काश्त की गयी। संवत् 2078 में उगमा,सुखा,काना पिता नाथू गुर्जर द्वारा 2 हेक्टेयर भूमि में कांटों की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया पाया गया। कोई फसल काश्त किया हुआ नहीं पाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी पी–26 के अनुसार संवत् 2074–77 तक खसरा न0 207 रकबा 2.55 बंजड़ भूमि के रूप में बतायी गयी है। गिरदावरी संवत् 2074,2075 में किसी भी व्यक्ति का काश्त करना नहीं बताया गया।

बहस बहुपक्ष अभिभाषक गण सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। मौखिक बहस में अपीलांट के अनुसार मौके पर रास्ता नहीं है। अन्य रास्ता हाईवे से उपलब्ध है। किसी को सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के अभि0 ने बहस में बताया कि खसरा न0 207

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय बिलानाम भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। ग्राम सभा में भी इस बाबत् प्रस्ताव दिया गया था गिरदावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। खसरा न0 206 से हम कोई रास्ता नहीं मांग रहे है। अपीलांट का उक्त प्रकरण में लोकस स्टेन्डाई नहीं है। रास्ते के पास अपीलांट द्वारा दीवार बना दी गयी है। रास्ता दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजकीय अभि0 ने बहस में यह बताया कि अपीलांट के पास अपील का कोई अधिकार नहीं है।

अपील में अपीलांट द्वारा जो बिन्दु उठाये गये है वे यह है कि उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान किया गया तथा उनका कब्जाकाश्त होने के बावजूद गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी का आदेश प्राकृतिक न्याय के आदेशो की अवहेलना है। खसरा न0 207 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में सिर्फ मौके पर दर्ज रास्तो को ही तरमीम करने का अधिकार दिया गया है। जमीन रास्ता दर्ज करने के लिए आर0टी0ए 1955 की धारा 251ए में प्रावधान दिये गये है। न की धारा 131,132 एल0आर0एक्ट के तहत उक्त कार्यवाही की जा सकती है। पटवार हल्का द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। न ही सार्वजनिक तौर पर नोटिस जारी करने की कोई कार्यवाही की गयी। परिपत्र दिनांक 10.08.2016,05.10.2016 तक ही प्रभावी है। अतः उपखण्ड अधिकारी आसींद का उक्त आदेश गलत है। अपीलांट द्वारा अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गयी। अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी आसींद के आदेश दिनांक 12.08.2021 को निरस्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अपीलांट का मुख्य रूप से यह कहना है कि प्रार्थी का कब्जा संवत् 2012 के पूर्व से ही उसका होने से वह व्यथित पक्षकार है।

ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अनुसार अपीलांट ने ग्रामवासीयान के चरागाह भूमि में से जाने आने हेतु रास्ते को बन्द कर दिया है। तथा अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत को बिना पक्षकार बनाये ही अपील प्रस्तुत की गयी है। चरागाह भूमि की देखरेख का काम ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। अतः पंचायत को आवश्यक पक्षकार रेस्पो0 न0 2 बनाया जाये। इसके संदर्भ में अपीलांट ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किये है। कि अपील खसरा न0 207 के संबंध में है न कि खसरा न0 131 के संबंध में है,जो कि चारागाह भूमि है। खसरा न0 207 पर [illegible] काफी वर्षों से कब्जा है। रास्ता दर्ज करने का जो आदेश दिया है वह गलत है।

मौका पर्चा पटवार हल्का बोरेला दिनांक 05.07.2021 को अवलोकन किया गया। मौतविरान के अनुसार वर्षों से वादग्रस्त खसरा नं 207 से होकर लोगो का आना जाना होता है। जिस पर उगमा,सुखा,काना पिता नाथु द्वारा कांटो की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन द्वारा दिनांक 29.06.2021 को ग्रामवासीयों के सहयोग से हटवाया गया। परंतु अतिक्रमी द्वारा पुनः सीमेंट पत्थर के पिलर बनाकर गेट लगा दिया गया है।

अपीलांट की अपील का मुख्य आधार उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना बताया है। न्यायालय के अनुसार अपीलांट को यह चाहिए था कि वह अपने पुराने कब्जे के आधार पर सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमन की कार्यवाही के लिए जाता। मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार भी यह पाया गया है कि पूर्व में अपीलांट का जो कब्जा था जो हटा दिया गया था तथा मौका पर्चा दिनांक को भी उसने सीमेंट पिलर लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है। रास्ता मौके पर आने जाने बाबत् होना मौतविरान ने बताया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसींद द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से दिया गया है। धारा 131,132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर हैसियत से उक्त नक्शों एवं वार्षिक रजिस्टर में मौके के अनुसार शुद्विकरण कर सकता है। चूंकि अपीलाधीन भूमि बिलानाम भूमि है। अतः भूमिधारी तहसीलदार आसींद को सुनकर ही उसके प्रस्ताव के आधार पर ही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा निर्णय दिया गया है। अपीलांट की हैसियत इसमें अतिक्रमी की है। जिसका अतिक्रमण भी हटाया जाना मौका पर्चा के अनुसार किया गया है। अतः अपीलांट को सुनना आवश्यक नहीं है। साथ ही जो रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया है पत्रावली पर प्रस्तुत नक्शा ट्रेश के अनुसार अपीलाधीन खसरा के एक किनारे–किनारे दिया गया है तथा उक्त रास्ते का क्षैत्रफल भी मूल खसरा के क्षैत्रफल से बहुत कम है। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत है कि उसका लगातार कब्जा है। रिकोर्ड के अनुसार काश्त के रूप में उसका कब्जा होना नहीं प्रदर्शित होता है। वर्ष 2012–13 पी–14 में अतिक्रमी के रूप में नाथू पिता सोराम गुर्जर का नाम दर्ज है तथा अतिक्रमित क्षैत्रफल मात्र 1.08 हे0 है। वर्ष 2021–22 में नाथू की जगह उसके पुत्रो उगमा,सुखा,काना का नाम दर्ज है। मगर काश्त का अंकन नहीं है भूमि पड़त बतायी है तथा कब्जा 2 हे0 का बताया है। स्पष्ट है कि अपीलांट का अपीलाधीन भूमि पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है। फिर भी अपीलांट चाहे तो नियमन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर चाराजोई कर सकता है।

वकील अपीलांट ने मौखिक बहस के कथन के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को धारा 251ए में रास्ते बाबत् कार्यवाही करनी चाहिए थी। न्यायालय का मानना है कि धारा 251ए खातेदारी खेतों में से होते हुए रास्ता दर्ज करने से संबंधित प्रावधान है जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां बिलानाम भूमि का प्रकरण है। अतः वकील अपीलांट के इस कथन में कोई आधार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन खसरा में दर्ज रास्ते से ही होकर खसरा न0 131 जो कि चरागाह है पहुंचा जा सकेगा। ग्राम पंचायत का यह कहना सही है कि चरागाह भूमियों का बंदोबस्त उनके जिम्मे है तथा अपीलांट यह तय नहीं कर सकता है, किस ओर होकर चरागाह भूमि पर पहुंचा जाये। चूंकि भूमि बिलानाम भूमि है तथा इससे होकर लोग आया जाया करते है। काश्त के रूप में अपीलांट का वर्तमान में कब्जा भी नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 द्वारा ग्राम पंचायत को स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से मौके के अनुसार पायी गयी स्थिति के अनुसार तहसीलदार के प्रस्ताव पर सही रूप से रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया। जहां तक नोटिफिकेशन का सवाल है,अपीलांट की यह बात सही है कि नोटिफिकेशन लागू होने की अंतिम तिथि निकल चुकी थी। यह अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के अतिरिक्त निर्देश के रूप में जारी किया गया था। ऐसे निर्देश प्राय प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं अन्य अभियानों हेतु सीमित अवधि के लिए जारी किया जाते है। मगर भू–राजस्व अधिनियम की संबंधित धारा एवं नियम जिसके तहत लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा निर्णय दिया गया है। वह निर्णय दिनांक को भी प्रचलन में है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में उक्त नोटिफिकेशन को अतिरिक्त निर्देश के रूप में ही अंकित किया गया है तथा निर्णय भू–राजस्व अधिनियम की संबंधित धाराओं एवं नियमों के तहत ही जारी किया गया था। अतः अपीलांट के उक्त आक्षेप का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपीलांट चाहे तो नियमन हेतु चाराजोई कर सकता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अपील द्वारा अपीलांट वास्ते खसरा न0 207 रकबा 2.55 हे0 ग्राम जोधा का खेड़ा पटवार मण्डल बोरेला विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी आसींद दिनांक 12.08.2021 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2021को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:12 IST
Reason: SelfAttested